न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 196/2025 G.C.M.S. No. 2025/762 दर्ज दिनांक : 28.11.2025

अपीलार्थिगण:

1. थानाराम पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम वारिसानः–
   1/1 जेठाराम पुत्र भानाराम
   1/2 खंगाराराम पुत्र भानाराम
   1/3 पकाराम पुत्र भानाराम
   1/4 हिरकी पुत्री भानाराम
   1/5 विमला पुत्र भानाराम जातियान चौधरी, निवासी भाद्राजून ढाणी, तहसील आहोर, जिला जालोर
2. प्रतापाराम पुत्र हरनाथजी, जाति चौधरी, निवासी भाद्राजून ढाणी, तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. धनाराम पुत्र हरजी, जाति चौधरी निवासी भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर
2. पेमाराम पुत्र हरनाथजी
3. भीखाराम पुत्र हरनाथजी
4. मीरादेवी पत्नी भोनाराम जातियान चौधरी निवासीगण भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर
5. संतोष भारती चेला राम भारती जाति स्वामी निवासी भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भाद्राजून जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2021 बअनवान धनाराम बनाम पेमाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री मनोहर सिंह जोधा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 24.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2021 बअनवान धनाराम बनाम पेमाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

24.06.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 धनाराम ने एक दावा बाबत् खातेदारी बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। राजस्व ग्राम भाद्राजून जिला जालोर में स्थित में खसरा नम्बरान् 1170 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1161, 1169, 1180, 858, 589, 862, 866, 868, 884, 890, 979 कुल रकबा 15.7500 हैक्टर को वादी का 1/4 हिस्सा नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग दर्शाया गया, हिस्सा बंट में आता है, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का शेष हिस्सा भूमि बंट में आता है, प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को शेष हिस्सा भूमि बंट में आती है, मौके पर बंटवाडा किया हुआ है, अलग अलग काबिज है। लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि शामलाती है, इस कारण वादी का हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करके दिया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2024 को आदेश पारित किया कि राजस्व ग्राम भाद्राजून, पटवार क्षेत्र भाद्राजून भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भाद्राजून तहसील भाद्राजून जिला जालोर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नम्बरान् 1170 कुल रकबा 1.5800 हैक्टर व खसरा नम्बर 1161, 1169, 1180, 858, 589, 862, 866, 868, 884, 890, 979 कुल रकबा 15.7500 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 सहखातेदार काश्तकार होने से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्धान्त के आधार पर बंटवाडा की डिक्री फरमाई जावे व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार भाद्राजून सह खातेदारो के रूबरू तैयार कर दिनांक 30.07.2024 तक पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने भानाराम पुत्र हरजी के फौत होने के उपरांत उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जानबुझकर भानाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर न्यायालय को गुमराह किया जिससे भानाराम को कायम मुकाम को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला तथा मृतक भानाराम के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। भानाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का सगा भाई था एवं भानाराम की मृत्यु की सूचना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बखूबी थी उसके उपरांत भी भानाराम के कायम मुकाम अपीलांट संख्या 1/1 से 1/5 को रेकर्ड पर नहीं लिया एवं न ही उन्हे नोटिस देकर अवगत करवाया एवं अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य छुपा कर अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाई। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2024 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भानाराम के कायम मुकाम अपीलांट संख्या 01 से 05 एवं अपीलांट संख्या 02 जब अपनी खातेदारी भूमि पर गये एवं साफ सफाई करवाने लगे तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 धनाराम मौके पर आया एवं कहा कि तुम लोग यहा पर सफाई कर खेती क्यो कर रहे हो, एवं मेरे नाम से अलग तरमीम भी दर्ज हो गयी है। जिस पर अपीलांट जेठाराम तथा प्रतापाराम ने पटवारी से जाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि धनाराम ने बिना तुम लोगो की जानकारी के दावा पेश कर अपने हक में प्रारम्भिक डिक्री व बंटवाडा करवा लिया है तब अपीलांट्स ने नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.11.2025 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 12.11.2025 को प्राप्त हुई, उसके पश्चात अपीलांट द्वारा कानूनी सलाह ली गयी। अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान होने से उसकी नकल मिलने पर अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता भानाराम पुत्र हरजी वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित खातेदार को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है एवं भानाराम दिनांक 24.09.2022 को फौत हो चुका था तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 इसके पश्चात पारित किया गया, लेकिन मृतक के वारिसान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी जिसमे भानाराम पुत्र हरजी बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 24.09.2022 को हो चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलांट जो कि मृतक के वारिसान है, को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया गया। चूंकि अपीलांट, भानाराम पुत्र हरजी के वारिसान है तथा भानाराम फौत हो चुका हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार भानाराम के वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट हस्तगत प्रकरण में स्वाभाविक रूप से आवश्यक पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है। जिन्हें हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः पृथक से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 24.06.2024 के अंकन अनुसार प्रकरण में वादी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने व बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कभी भी साक्ष्य वादी हेतु नियत नहीं की गयी एवं न ही प्रकरण में साक्ष्य ली गयी।
6. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2021 बअनवान धनाराम बनाम पेमाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 23.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली